राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 250/2015

चन्द्रेश्वर जोशी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता, वार्ड उदयपुर जोन।
2. अधीक्षण अभियंता, माही परियोजना, बांसवाडा।
3. अधिशाषी अभियंता, बांध डिवीजन–प्रथम, माही परियोजना, बांसवाडा।
4. सहायक अभियंता मैकेनिकल, उप डिवीजन–तृतीय, माही परियोजना, बांसवाडा।
5. उप निदेशक, पशु पालन विभाग, बांसवाडा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.04.2015
आदेश की दिनांक : 31.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद एवं सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 9 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान किया जावे। यह भी निर्देश दिए जावें कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2957/2007 श्री रहीस मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य में पारित एवं जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. बैंच में स्पेशल अपील संख्या 1043/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 के आधार पर आदेश जारी करने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.10.1977 को हैल्पर मस्टर रोल के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर हुई थी और अपीलार्थी की छः माह की सेवा पूर्ण होने पर उसे वर्क चार्ज संवर्ग में परिवर्तित करते हुए वेतनमान रूपये 245–3–257–4–265–5–310 के आधार पर दिनांक 22.04.1978 से दिया गया और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे दिनांक 24.10.1991 के द्वारा दिनांक 21.10.1987 से नियमित वेतनमान निर्धारित कर दिया गया। अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और गलत वेतनमान देते हुए 3050–4050 देने के बजाय उसे

दिनांक 01.01.1998 से 2750–4000 दिया गया। आदेश दिनांक 12.01.2001 के द्वारा पशुपालन विभाग में अपीलार्थी को समायोजित कर दिया गया और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 22.10.2006 से अपीलार्थी को एसीपी का लाभ पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1900 दिया गया जबकि अपीलार्थी उसके समान अभ्यर्थी के बराबर उच्च वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी आठवीं कक्षा पास व्यक्ति है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 24.06.1986 के द्वारा अधिशाषी अभियंता द्वारा अपीलार्थी हैल्पर की परीक्षा में उचित पाया गया, जो उसकी सेवा पुस्तिका में उल्लेख है और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी वेतनमान 3050–4050 प्राप्त करने का अधिकारी है और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वह द्वितीय चयनित वेतनमान 4000–6000 एवं तृतीय चयनित वेतनमान 5000–8000 प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति पद पर पाने का सही माना है और अपीलार्थी का मामला भी अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2009 के समान ही है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ने भी सही माना है। अतः उक्त अधिकरण द्वारा पारित आदेश के प्रकाश में एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय के प्रकाश में अपीलार्थी को भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अभी तक उक्त लाभों से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 9 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान किया जावे। यह भी निर्देश दिए जावें कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2957/2007 श्री रहीस मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य में पारित एवं जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. बैंच में स्पेशल अपील संख्या 1043/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 के आधार पर आदेश जारी करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में दर्शायी गई वेतन श्रृंखला राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाना स्वीकार है। इस प्रकार जल संसाधन विभाग में कार्यरत वर्क चार्ज कर्मचारियों को स्वीकृत वेतनमान दिया जाना नियमान्तर्गत व वित्त विभाग के आदेशों के अनुरूप सही है। माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बी.एस.बाजवा बनाम पंजाब राज्य एससीसी 1998 वोल्यूम 2 पेज 523 में स्पष्ट कहा है कि एक बार वरिष्ठता एवं वेतन की स्थिति निर्धारित होने के बाद लम्बे अंतराल में बदला नहीं जा सकता। माही परियोजना के लिए स्वीकृत वर्कचार्ज कर्मचारी की वेतन श्रृंखला पूर्व से अपीलार्थी को दी जा रही है। अपीलार्थी को वर्तमान में दी जा रही वेतन श्रृंखला वित्त विभाग के नियमानुसार सही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.10.1977 को हैल्पर के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर हुई थी और अपीलार्थी की छः माह की सेवा पूर्ण होने पर उसे वर्क चार्ज संवर्ग में परिवर्तित करते हुए वेतनमान रूपये 245–3–257–4–265–5–310 दिनांक 22.04.1978 से दिया गया और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे दिनांक 21.10.1987 से नियमित वेतनमान निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2008 में दिए गए निर्देशों के तहत एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.02.1998 के अनुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, जिसके अनुरूप अपीलार्थी को दिनांक 21.10.1987 से चयनित वेतनमान निर्धारित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष का चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में विज्ञप्ति दिनांक 28.02.1994 के अनुसार वर्क चार्ज कर्मचारी को राज्य सरकार के कर्मचारी माने गए हैं तथा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान दिया जाता है। इस संबंध में विज्ञप्ति दिनांक 03.03.1997 को जारी की गई, जिसके क्लोज 5 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वर्क चार्ज कर्मचारी, जिनको चयनित वेतनमान दिया जाए, उनकी सेवाएं अर्द्धस्थायी घोषित दिनांक से गणना की जावे। यह भी शर्त लगाई गई है कि यदि पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं तो चयनित वेतनमान का लाभ उसके वेतन श्रृंखला के corresponding वेतन श्रृंखला में दिया जावे। अपीलार्थी हैल्पर का पद धारण किए हुए है। वर्क चार्ज नियम, 1969 के नियम 4 सब रूल 3 में यह प्रावधान है कि हैल्पर को पम्प ड्राइवर, मेंसन एवं ड्राइवर के पदों पर पदोन्नत किया जावे। उक्त नियमों के तहत विभाग द्वारा कई कार्मिकों को पदोन्नत किया गया तथा माही परियोजना में कई कार्मिकों को पदोन्नति पद पर वेतन श्रृंखला 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित

वेतनमान का लाभ दिया गया है। प्रथम चयनित वेतनमान 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 3050–4050, द्वितीय चयनित वेतनमान 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 4000–6000 एवं तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 5000–8000 दिए गए, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नत पद की वेतन श्रृंखला का चयनित वेतनमान 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वंचित रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस प्रकार की दोहरी नीति अपनाई गई, जो पूर्णतया न्याय से परे है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2957/2007 व अन्य अपीलें श्री रहीस मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2009 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1043/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2012 के द्वारा अधिकरण के आदेश को उचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त प्रकरण के तथ्यों पर आधारित है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी भी पदोन्नत पद के वेतन श्रृंखला का प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 3050–4050, द्वितीय चयनित वेतनमान 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 4000–6000 एवं तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 5000–8000 प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को पदोन्नत पद के वेतन श्रृंखला का प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 3050–4050, द्वितीय चयनित वेतनमान 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 4000–6000 एवं तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 5000–8000 राज्य सरकार के नियमों एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य